'190038/2024

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

पत्रांकः190038/ई फाईल संख्या–67533/आवास अनुभाग–2, देहरादूनः दिनांकः 15 फरवरी, 2024।

विषयः वृहद निर्माण परियोजनाओं अथवा ऐसे निर्माण कार्यों, जिससे उक्त क्षेत्र में वाहनों की वृद्धि होने की संभावना हो, इनकी स्वीकृति से पूर्व यातायात प्रभाव आंकलन (Traffic Impact Assesment) अवश्य कराये जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया, अवगत कराना है कि आवास विभाग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973, जो कि उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त है, के प्राविधानों के अधीन राज्य में नियोजित विकास हेतु कार्यवाही की जाती है। नियोजित विकास को साकार रूप प्रदान करने के लिए भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 (समय–समय पर यथा संशोधित) का प्रख्यापन भी किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा–14 के अनुसार विकास क्षेत्रान्तर्गत किसी भी प्रकार के विकस के लिए मानचित्र स्वीकृत कराया जाना अनिवार्य है।

2– विभिन्न विभागों द्वारा राज्य में समय–समय पर वृहद् निर्माण परियोजनाओं यथाः स्टेडियम/ऑडिटोरियम/उद्योगों की स्थापना/कार्यशाला/प्रशिक्षण केन्द्र/उच्च शिक्षण संस्थान/मेडिकल कॉलेज, इत्यादि का निर्माण एवं अन्य वृहद् परियोजनाएं संचालित की जाती हैं। इन परियोजनाओं के निकटस्थ स्थानों में वाहनों की आवाजाही का विस्तार होता है। नियोजित परियोजना के अभाव में अनियंत्रित यातायात का दबाव क्षेत्र विशेष के आस–पास विकसित होता है, जिस कारण आमजन को अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। नियोजित विकास में सुगम यातायात का बिन्दु भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

3– अतः उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभागीय वृहद निर्माण परियोजनाओं अथवा ऐसे निर्माण कार्यों, जिससे उक्त क्षेत्र में वाहनों की वृद्धि होने की संभावना हो, इनकी स्वीकृति से पूर्व यातायात प्रभाव आंकलन (Traffic Impact Assesment) अवश्य कराये जाने के संबंध में अपने अधीनस्थ विभागों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

Generated from eOffice by PRAMOD KUMAR, RO-PK, REVIEW OFFICER, Aawas Department on 15/02/2024 10:37 AM

/190038/2024

Signed by Anand Bardhan
Date: 13-02-2024 15:11:34

(आनन्द बर्द्धन)
अपर मुख्य सचिव।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1— समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड, देहरादून।

2— संयुक्त मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।

3— मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।

4— उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून/हरिद्वार—रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/समस्त जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित है कि वृहद निर्माण योजनाओं के मानचित्र स्वीकृति में यातायात प्रभाव आंकलन (Traffic Impact Assesment) रिपोर्ट का संज्ञान अवश्य लें।

5— वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।

6— गार्ड फाईल।

(अतर सिंह)
अपर सचिव।

Generated from eOffice by PRAMOD KUMAR, RO-PK, REVIEW OFFICER, Aawas Department on 15/02/2024 10:37 AM